(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :

शासनादेश सं0 : 3412 ई/तेरह-105/59 दिनांक 27 नवम्बर 1959 के तहत मुख्यालय पर राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उत्तर प्रदेश को विभागाध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है। शासन के अधिसूचना संख्या : 3482 ई/तेरह-146-75 दिनांक 14 जून 1982 व समय-समय पर संशोधित नियमावली/शासनादेशों के अनुसार विभाग के राजपत्रित अधिकारियों एवं अधिसूचना संख्या 1849/26-1-99-275(78)/89 दिनांक 30 दिसम्बर 1999 द्वारा अराजपत्रित समूह-ग समय-समय पर संशोधित नियमावली/शासनादेशों के अनुसार कर्मियों के लिए प्रख्यापित सेवा नियमावली के तहत कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लिया जाता है।